

2/3/24

पत्रावली पेश हुई। वादी अथवा  
बादीगम की ओर से कोई उपस्थित  
नहीं है। बार-बार आवाज जगवाई  
गई। पावजूद आवाज के भी कोई  
हाजिर नहीं आया। अस्मि आवाज  
न्यायालय परिसर के बाहर साय 5.00  
बजे जगवाई गई फिर भी कोई हाजिर  
नहीं आया। इससे प्रतीत होता है कि  
वादी अपने वाद के प्रति इकासीन  
हैं तथा वाद को चलाना नहीं चाहता  
अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम  
पैरवी में खारीज किया जाना इच्छित  
समझते हैं।

वाद - बादीगम अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारीज किया जाना  
है। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर सब  
से कम है। दायिगन दफ़्तर है।  
निर्णय सुले न्यायालय में सुनाया  
जाया ॥

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट